



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



सं. ए-45011/82/2024-मा.सं.प्र.-III/80

दिनांक: 18.06.2025

आदेश

शिकायत निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, प्र.अधि. /ले. अधि. संवर्ग में निम्नलिखित अधिकारियों के अभ्यावेदन पर विचार किया गया और तदनुसार उन्हें उनके नाम के सामने उल्लिखित स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है:

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	आं.का. का नाम (जहां अधिकारी तैनात है)	आं.का. का नाम जहां अधिकारी को स्थानांतरित किया गया है	क्या डीआर या डीपी कोटा से हैं	क्या स्थानांतरण अस्थायी/स्थायी है
1.	शेखू चंद्र शेखर	चेन्नई	आंध्र प्रदेश.	डीआर	स्थायी
2.	नारापिन्नी चिन्नाराव	चेन्नई	आंध्र प्रदेश	डीआर	स्थायी
3.	मासरप्पु नरेंद्र	चेन्नई	आंध्र प्रदेश	डीआर	स्थायी
4.	पंकज यादव	महाराष्ट्र	दिल्ली और उत्तराखंड	डीआर	स्थायी
5.	संजीव मीना	पंजाब और हि. प्र.	दिल्ली और उत्तराखंड	डीआर	स्थायी
6.	शरबानसव येतगल	केरल	हुबबल्ली	डीआर	स्थायी
7.	दीपांकर शाही	ओडिशा	उत्तर प्रदेश	डीआर	स्थायी
8.	दीक्षांत मंसूरी	महाराष्ट्र	दिल्ली और उत्तराखंड	डीआर	स्थायी
9.	गौरव कुमार	ओडिशा	दिल्ली और उत्तराखंड	डीआर	स्थायी
10.	एच. धनुष	चेन्नई	केरल	डीआर	स्थायी

11.	राजेंद्र कुमार मीना *	केरल	राजस्थान	डीआर	स्थायी
12.	धीरज सिंह रावल	गुजरात	राजस्थान	डीआर	स्थायी
13.	अखिल मरु	आंध्र प्रदेश	तेलंगाना	डीआर	स्थायी
14.	पंकज अहलावत	ओडिशा	हरियाणा	डीआर	स्थायी
15.	प्रिंस रौशन	बैंगलुरु	पश्चिम बंगाल	डीआर	स्थायी

*अधिकारी को तीन वर्ष के लिए अस्थायी रूप से मुख्यालय में तैनात किया गया है। अधिकारी को मुख्यालय में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद मुख्यालय से मुक्त कर दिया जाएगा, आंचलिक कार्यालय, राजस्थान में कार्यभार ग्रहण हेतु मुख्यालय से कार्य मुक्त किया जायेगा।

2. प्र.अधि. /ले. अधि. संवर्ग के शेष अधिकारियों के अभ्यावेदन पर विविध कारणों से विचार नहीं किया जा सका।
3. सभी अधिकारियों को इस आदेश के जारी होने के 03 दिन के भीतर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।
4. सभी अधिकारी संबंधित आंचलिक कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे तथा तत्पश्चात् आंचलिक कार्यालय उन्हें ग्रुप 'ब' स्थानांतरण नीति के अनुसार तैनात करेंगे।
5. अस्थायी आधार पर स्थानांतरण केवल 6 वर्ष के लिए है।
6. सभी अधिकारी ध्यान दें कि यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि स्थानांतरण के लिए उनके द्वारा दी गई जानकारी/दस्तावेज गलत है, तो अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा तथा स्थानांतरण आदेश भी रद्द कर दिया जाएगा।
7. स्थानांतरण के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को कोई टीए/डीए/सीटीजी देय नहीं होगा, हालांकि, किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है।
8. जवाइनिंग रिपोर्ट ई-मेल आईडी groupb.transfer@epfindia.gov.in पर भेजी जाएगी।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)



(मनीष मणि)

क्षे.भ.नि.आ.-I (मा.सं.प्र.)

सेवा में,

सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी

(अपर केंद्रीय आयुक्त (मुख्या.)/अंचल के अपर केंद्रीय आयुक्त के माध्यम से)

प्रतिलिपि -

1. कै. भ. नि. आयुक्त के ओ. एस. डी.।
2. वि. सला. एवं मु. ले. अधि./मु. सत. अधि./ सभी अ.कें.आ. (मुख्या.)/ निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
3. सभी अपर केंद्रीय आयुक्त।
4. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखा परीक्षा दल।
5. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान/उप-आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
6. क्षे. भ. नि. आयुक्त, एनडीसी - वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन।
8. महासचिव, अ.भा. क.भ.नि. स्टाफ फेडरेशन।
9. महासचिव, अ.भा. क.भ.नि. कर्मचारी संघ।
10. महासचिव, अ.भा. क.भ.नि. एसटी/एससी फेडरेशन।
11. गार्ड फाइल।



(मनीष मणि)

क्षे.भ.नि.आ. - I (मा.सं.प्र.)